भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1496
उत्तर देने की तारीख 4 दिसम्बर, 2024

फर्जी और धोखाधड़ी वाली कॉलों से निपटना

1496. श्री ए. राजाः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संचार साथी, चक्षु जैसे साधनों के माध्यम से विपणन, फर्जी और धोखाधड़ी वाली कॉलों से निपटने के लिए कोई प्रणाली स्थापित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ये प्रणाली उक्त कॉलों को स्वतः ही ब्लॉक कर देती है और संबंधित मोबाइल प्रयोक्ता को स्पैम कॉलों के बारे में एसएमएस भेज देती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसी कॉलों को रोकने और उन पर प्रतिबंध लगाने तथा इन गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को दंडित करने के लिए किसी विधायी प्रस्ताव की आवश्यकता है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले आम लोगों को तनावमुक्त जीवन देने के लिए कब तक समय लाए जाने की संभावना है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए संचार साथी पोर्टल (www.sancharsaathi.gov.in) विकसित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संदिग्ध धोखाधड़ी संचार और अवांछित व्यावसायिक संचार (यूसीसी) की रिपोर्ट करने के लिए चक्षु सुविधा उपलब्ध है। संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट के आधार पर दूरसंचार विभाग मोबाइल कनेक्शन, मोबाइल हैंडसेट, बल्क एसएमएस भेजने

वालों और व्हाट्सएप अकाउंट पर कार्रवाई करता है। टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन (टीसीसीसीपीआर-2018) के अनुसार कार्य करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को यूसीसी रिपोर्ट भेजी जाती है।

(ख) दूरसंचार विभाग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने आने वाली ऐसी अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉलों जिनमें भारतीय मोबाइल नंबर डिस्प्ले होता है और भारत से ही आती हुई प्रतीत होती हैं, की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए फर्जी अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग रोकथाम प्रणाली विकसित की है। फर्जी डिजिटल अरेस्ट, फेडएक्स घोटालों तथा सरकारी और पुलिस अधिकारियों के रूप में छद्मरूपण आदि के हालिया मामलों में साइबर अपराधियों द्वारा इस तरह की अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल की गई हैं। इसके अलावा यूसीसी से निपटने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. ट्राई के टीसीसीसीपीआर-2018 में प्रावधान हैं जहां एक दूरसंचार उपभोक्ता सभी वाणिज्यिक संचारों को रोकने का विकल्प चुन सकता है या प्राथमिकता श्रेणियों के अनुसार चुनिंदा व्यावसायिक संचारों को रोक सकता है और यूसीसी भेजने वालों के खिलाफ मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है, शॉर्ट कोड 1909 पर एसएमएस भेज सकता है और 1909 पर कॉल कर सकता है।

ii. टीसीसीसीपीआर-2018 के उल्लंघन के लिए पंजीकृत संस्थाओं और टेलीमार्केटर्स को ब्लैकलिस्ट करना।

iii. अपंजीकृत टेलीमार्केटर (यूटीएम) के खिलाफ कार्रवाई जैसे चेतावनी देना, उन्हें उन पर युसेज केप लगाना या बार-बार उल्लंघन के मामले में डिस्कनेक्ट करना।

iv. स्पैम कॉल करने के लिए अपंजीकृत प्रेषकों के सभी दूरसंचार संसाधनों को डिस्कनेक्ट करने और ऐसे प्रेषकों को ब्लैकलिस्ट करने हेतु निदेश देना।

v. यूसीसी पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए एक्सेस प्रदाताओं के खिलाफ वित्तीय हतोत्साहन (एफडी) लगाना।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग ने 21 नवम्बर 2024 को दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम, 2024 अधिसूचित किया है जिनमें यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी, छल या छद्मरूपण करके; किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी वाला संदेश भेज कर; किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी घटना करने या करने का इरादा करके दूरसंचार साइबर सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा।

*****